तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री अजीत लोढा, अभिभाषक प्रार्थी
श्री श्याम बाबू पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 23–01–2025

निर्णय

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी, नीम का थाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–03–2005 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 6 से 9 का निर्णय अपने क्षेत्राधिकार का पूर्ण रूप से उपयोग नही कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 6 का निर्णय प्रार्थी के विरूद्ध करने में भारी भूल की है जबकि विवादित भूमि प्रार्थी के हक में विधिवत रूप से अवाप्त की जाकर उसका कब्जा सौपा गया था तथा औद्योगिक क्षेत्र हेतु यह भूमि अवाप्त की गई थी एवं ऐसी स्थिति में धारा 16 व धारा 63 (i) (iii) के प्रावधानों के कारण वादी को किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकार नहीं थे और इस कारण से राजस्व वाद चलने योग्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने मेटेरियल इररेक्यूलिटी इन दी एक्साईज ऑफ ज्यूडिरीक्शन के बाबत वादग्रस्त भूमि जिसकी किस्म परिवर्तित हो चुकी थी के संबंध में राजस्व वाद में घोषणा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज किया है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही भूमि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	खसरा नंबर 2208 जिसका रकबा 0.14 हैक्टर जमाबन्दी में अंकित था वह सम्पूर्ण भूमि औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्त की गई थी एवं ऐसी स्थिति में कोई अन्य भूमि शेष नहीं होने के कारण केवल मात्र कयास के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय देने में विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय संवत 2051 से 2054 में दिये गये उक्त खसरा नंबर के रकबे को सही नहीं मान कर केवल कयासों के आधार पर 0.16 हैक्टर भूमि में से 0.6 हैक्टर भूमि शेष रह जाना मान कर, जो घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था, को स्वीकार करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद में किये गये कथनों के आधार पर तनकी संख्या 8 व 9 का निर्णय प्रार्थी के विरूद्ध नहीं दिया जा सकता था जबकि भूमि अवाप्ति के बाद औद्योगिक क्षेत्र की परिधि व परिभाषा में आती थी। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही किये जाने के पश्चात इस संबंध में कोई भी वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वादी द्वारा जिन आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया था, उसे सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था और भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात व उसके पश्चात उसकी किस्म में परिवर्तन होने से भी उसके संबंध में वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर न कर आक्षेपित आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नीम का थाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–03–2005 निरस्त किया जावे। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	दिनांक 28–03–2005 उचित व कानून सम्मत है। अतः निगरानी यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि विवादित भूमि प्रार्थी के हक में विधिवत रूप से अवाप्त की जाकर उसका कब्जा सौंपा गया था तथा औद्योगिक क्षेत्र हेतु यह भूमि अवाप्त की गई थी, ऐसी स्थिति में धारा 16 व धारा 63 (i) (iii) के प्रावधानों के कारण वादी को किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकार नहीं थे और इस कारण से राजस्व वाद चलने योग्य नहीं था। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि जमाबंदी संवत् 2054 में वर्णित खसरा नंबर 2208 रकबा 0.14है0 पूरा अवाप्त हो चुका है व मुआवजा दिया जाकर कब्जा सम्भलाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु पर गौर न कर आक्षेपित निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–03–2005 निरस्त किया जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	